[2010] 9 एस.सी.आर. 33

पृथी

वि.

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1835, 2009)

जुलाई 27, 2010

[आर.एम. लोढ़ा और ए.के. पटनायक, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 एस.एस.302/149, 307/149,148 और 201-के तहत अभियोजन-पांच आरोपियों में से-घटना के दो चश्मदीद-एक मृतक से संबंधित चश्मदीद जबकि दूसरा घायल गवाह- शव की गैर बरामदगी-निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि-अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा अपील पर अभिनिर्धारितः दोषसिद्धि उचित है, 'कॉर्पस डेलिक्टी' स्थापित करना आवश्यक नहीं है-अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने अपराध की स्थापना की है-दोनों चश्मदीद गवाह विश्वसनीय गवाह हैं।

आपराधिक कानून-'कॉर्पस डेलिक्टी'-की स्थापना-अभिनिर्धारितः कॉर्पस डेलिक्टी को स्थापित- करना आवश्यक नहीं है-मृतक की मृत्यु के तथ्य को किसी भी अन्य तथ्य की तरह स्थापित किया जा सकता है कॉर्पस डेलिक्टी के साक्ष्य और आरोपित व्यक्ति का अपराध अक्सर आपस में ऐसा जुड़ा

हुआ होता है कि एक ही साक्ष्य अपराध के तथ्य के साथ-साथ उसके आरोपी के व्यक्तित्व पर भी लागू होता है-साक्ष्य।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 154-अपने ही गवाह से पक्ष द्वारा पूछताछ करना-अभिनिर्धारितः यदि पक्ष अपने ही गवाह से प्रश्न करता है, तो इससे गवाह का साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं हो जाता।

शब्द और वाक्यांश: कॉर्पस डेलिक्टी-का अर्थ।

अपीलकर्ता-अभियुक्त संख्या 3, 4 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ, एक व्यक्ति की हत्या करने और अभि.सा. 6 और 9 सहित तीन व्यक्तियों को आग्नेयास्त्रों से घायल करने के लिए अभियोजन चलाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभि.सा. 6 घटना में घायल हो गया। आरोपी पक्ष मृतक के शव को अपने साथ ले गये। पुलिस ने अभि.सा. 6 का बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की। विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को अन्तर्गत धारा 302/149, 307/149,148 एवं 201 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया।. सजा के खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। आरोपी नंबर 1, 2 और 4 द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

तात्कालिक अपील में, अपीलकर्ता-अभियुक्त संख्या 3 ने तर्क दिया कि मृतक की मृत्यु का तथ्य विवादित है जैसा उसका शव बरामद नहीं किया गया था ना ही कोई पोस्टमार्टम किया गया था; कि मृतक के समान

नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और किसी अन्य शहर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया; अभि.सा. 6 के बयान को या तो वैसे ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था या पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था; अभि.सा. 9 को चश्मदीद गवाह के रूप में रोपित किया गया था और मृतक का भाई होने के नाते वह अत्यधिक हितबद्ध गवाह था।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

1. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में, यह न्यायालय साक्ष्य की विस्तृत जांच और पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश नहीं करता है, खासकर जब नीचे की दो अदालतों के बीच राय की सहमति होती है। अभि.सा. 9 के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, न्यायालय संतुष्ट है कि धारा 302/149, 307/149, 148 और 201 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। [पैरा 22] [49-ई-एफ]

2.1. मृतक की मृत्यु से संबंधित प्रश्न 'कॉर्पस डेलिक्टी' के प्रमाण से संबंधित है। शब्द, 'कॉर्पस डेलिक्टी' का आम तौर पर तात्पर्य है, जब किसी विशेष अपराध पर लागू किया, आरोपित विशेष अपराध में से किसी एक द्वारा किया गया वास्तविक कार्य किया। एक हत्या के मामले में कथित

तौर पर हत्या किए गए व्यक्ति की मृत्यु और किसी एक के द्वारा किए गए अपराध के कृत्य के कारण वह मृत्यु होने का सबूत से 'कॉर्पस डेलिक्टी' का गठन होता है। आपराधिक न्यायशास्त्र में यह दृढ़ सिद्धांत है कि कोई जांच प्रारंभ नहीं होती है कि कैदी किसी अपराध का दोषी है, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि एक अपराध किया गया है। [पैरा 6] [42-डी-एफ]

रेक्स बनाम पैट्रिक मैकनिकोल 1917(2) 1.आर.557; द किंग बनाम होरी, 1952 एनजेडएलआर 111, संदर्भित।

शब्द और वाक्यांश, खंड 9ए, दूसरा पुनर्मुद्रण, 1976, वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी; 'द हिस्ट्री ऑफ़ द प्लीज़ ऑफ़ द क्राउन', वॉल्यूम में सर मैथ्यू हेल। II 290 (1800 संस्करण); इंग्लैंड के हैल्सबरी के नियम, द्वितीय संस्करण 449, का उल्लेख किया गया है।

2.2. कॉर्पस डेलिक्टी स्थापित करना आवश्यक नहीं है। मृतक की मृत्यु के तथ्य को किसी भी अन्य तथ्य की तरह स्थापित किया जाना चाहिए। कभी-कभी, अपराध के तथ्य के सबूत और उसके कर्ता के सबूत के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। कॉर्पस डेलिक्टी के साक्ष्य और अपराध के आरोपी व्यक्ति का अपराध, कई बार इतने परस्पर जुड़े होते हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही साक्ष्य अक्सर अपराध

के तथ्य और उसे करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व दोनों पर लागू होता है। [पैरा 11 और 12] [43-ई-एच; 44-ए-डी]

सेवका पेरुमल और अन्य। बनाम तमिलनाडु राज्य (1991) 3 एससीसी 471; प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) एससीआर 453; नरेश मोहनलाल जयसवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) 11 एससीसी 547; अनवारुल हक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2005) 10 एससीसी 581, पर निर्भर।

3.1. अभि.सा.- 9 को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी एक विश्वसनीय गवाह के रूप में स्वीकार किया है-उसका साक्ष्य मृतक की मृत्यु के तथ्य को साबित करता है और अभियुक्त (अपीलकर्ता सहित) द्वारा अपराध के कृत्य को भी निश्चित करता है। यह सच है कि वह रिश्तेदार गवाह है क्योंकि वह मृतक का भाई है, लेकिन इससे उसकी गवाही विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंभव सामने नहीं लाया गया है जो अभि.सा.-9 की गवाही को अस्वीकार करने को उचित ठहरा सके। लगभग 4/5 घंटे तक झाड़ियों के पीछे रहना और पुलिस या ग्रामीणों को घटना की सूचना तब तक नहीं देना जब तक कि पुलिस घटनास्थल पर न पहुंच जाए, उसका आचरण पहली नज़र में थोड़ा सामान्य लग सकता है, लेकिन गहराई से जांच करने पर असामान्य या असाधारण नहीं लगता है। इसके अलावा

घटना के समय और स्थान पर उसकी उपस्थिति भी अभि.सा.-6 के साक्ष्य से स्थापित होती है। एफआईआर में दर्ज है कि जीप में अभि.सा.-9, अभि.सा.-6 के साथ था। अभि.सा.-9 के साक्ष्य को घटनास्थल से एक बंदूक और साथ ही खाली भी अप्रयुक्त कारतूसों की बरामदगी से भी पुष्टि मिलती है। [पैरा 15] [46-जी-एच; 47- ई.]

3.2. अभि.सा.-9 के प्रत्यक्ष साक्ष्य से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मृतक मर चुका है और घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी सभा के सदस्य (अपीलकर्ता सहित) उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इस मामले को देखते हुए, इस दलील में कोई दम नहीं है कि मृतक के समान नाम वाले व्यक्ति को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और पुलिस उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद सत्यापन करने में विफल रही। न्यायालय ने पूछा कि क्या वह व्यक्ति वही व्यक्ति था जिसकी हत्या होने का आरोप है या कोई अन्य व्यक्ति और, इसलिए, मृतक की मृत्यु का तथ्य स्थापित नहीं किया गया है। [पैरा 20] [49- ए-सी]

अनंत चिंतामन लागू बनाम भारत बॉम्बे राज्य (1960) 2 एससीआर 460, पर निर्भर।

4.1. तथ्य यह है कि एक घटना घटी जिसमें अभि.सा.-6 को चोटें आईं और मृतक की मृत्यु हो गई, यह अभि.सा.-6 के साक्ष्य से काफी हद

तक स्थापित है। अभि.सा.-6 को लगी चोटें उस डॉक्टर (अभि.सा.-1) के साक्ष्य से भी स्थापित होती हैं, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद उसकी चिकित्सकीय जांच की थी। केवल इसलिए कि अभि.सा.-6 ने हमलावरों का नाम नहीं बताया, उसकी साक्ष्य को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। [पैरा 16] [47-एफ-एच]

4.2. यह कहना सही नहीं है कि अभि.सा.-6 की गवाही को या तो ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए या पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154 न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा देने में सक्षम बनाती है, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। जब एक गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और न्यायालय की अनुमति से उससे प्रतिपरीक्षा की गई, तो उसका साक्ष्य स्वीकार्य रहता है और यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है, तो उसकी गवाही से दोषसिद्धि पर कोई कानूनी बाधा नहीं है। [पैरा 17, 18 और 19] [48-जी, ए, ई-एफ]

खुज्जी@सुरेन्द्र तिवारी विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य (1991) 3 एससीसी 627; भगवान सिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य (1976) 1 एससीसी 389; श्री रवीन्द्र कुमार डे विरूद्ध उड़ीसा राज्य 1976 (4) एससीसी 233; सैयद

अकबर विरूद्ध कर्नाटक राज्य 1980 (1) एससीसी 30; कोली लखमनभाई चनाभाई विरूद्ध गुजरात राज्य (1999) 8 एससीसी 624, पर निर्भर।

केस कानून संदर्भ:

(1991) 3 एससीसी 471	पर भरोसा किया ।	पेरा 5
(1950) एससीआर 453	पर भरोसा किया ।	पेरा 5
(1996) 11 एससीसी 547	पर भरोसा किया ।	पेरा 5
(2005) 10 एससीसी 581	पर भरोसा किया ।	पेरा 5
(1991) 3 एससीसी 627	पर भरोसा किया ।	पेरा 17
(1976) 1 एससीसी 389	पर भरोसा किया ।	पेरा 17
1976 (4) एससीसी 233	पर भरोसा किया ।	पेरा 17
1980 (1) एससीसी 30	पर भरोसा किया ।	पेरा 17
(1999) 8 एससीसी 624	पर भरोसा किया ।	पेरा 17
(1960) 2 एससीआर 460	पर भरोसा किया ।	पेरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1835/2009।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की आपराधिक अपील संख्या 161- डी.बी./98 में दिनांक 12.09.2008 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से नीरज कुमार जैन, ऋषि मल्होत्रा, संजय सिंह, प्रथम।

प्रत्यर्थी की और से कमल मोहन गुप्ता, गौरव तेवटिया, रीटा चौधरी।

आर.एम. लोढ़ा, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय पारित किया

1. विशेष अनुमति द्वारा यह आपराधिक अपील निम्नलिखित तरीके से उत्पन्न होती है। 3 अक्टूबर 1990 को सुबह लगभग 9.30 बजे बड़ोपल निवासी एक निश्चित भूप सिंह, वाहन (जीप) जिसका रजिस्ट्रेशन नं. डीएनसी-9324 स्वामी ने अपने ड्राइवर-हरि सिंह (अभि.सा.-6) को अमी लाल को गांव भोडिया बिश्नोईयान स्थित उसकी ढाणी से लाने के लिए कहा। अभि.सा.-6 वहां पहुंचे और करीब एक घंटे तक इंतजार किया। अमी लाल और उसका भाई छोटू राम (अभि.सा.-9) जीप में अभि.सा.-6 के साथ गए। अमी लाल की ढाणी में मौजूद एक संत लाल भी जीप में बैठ गया क्योंकि उसे भी बड़ोपल जाना था। अमी लाल अभि.सा.-6 के पास आगे की सीट पर बैठे। अभि.सा.-9 और संत लाल पीछे की सीट पर बैठे। उनकी वापसी पर, जब अभि.सा.-6 भाणा गांव की ओर जीप चला रहा था, उसने श्मशान घाट के पास जी राम (ए-4) की एक सफेद जिप्सी को घात लगाते हुए देखा। अभि.सा.-6 ने उनका वाहन रोका। उसके तुरंत बाद ए-4, पृथी (ए-5)-अपीलकर्ता, राम सिंह उर्फ गुरिया (ए-1), राम सिंह उर्फ राम धन (ए-2) और महाबीर सिंह (ए-3) बंदूकों और राइफलों से लैस होकर झाड़ियों

से बाहर आए। ए-4 ने गोली चलाई जो जीप के टायर पर लगी। ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 और ए-5 फिर जीप की ओर दौड़े। ए-4 ने अमी लाल पर गोली चलाई जबकि ए-1 ने गोली चलाई जो संत लाल को लगी। जीप में सवार सभी लोग, अर्थात् अभि.सा.-6, अभि.सा.-9, अमी लाल और संत लाल जीप से बाहर कूद गए। ए-5 ने अभि.साक्षी-6 पर गोली चलाई लेकिन वह जीप पर लगी। अभि.सा.-6, अभि.सा.-9 और संत लाल अलग-अलग दिशाओं में भाग गए। हमलावर पक्ष ने अमी लाल पर गोलियां चलाकर उसे काबू कर लिया। ए-5 ने अभि.सा.-6 पर एक और गोली चलाई जो उसके बाएं कंधे के पीछे लगी। हमलावर दल अमी लाल (उस समय तक मर चुका था) को अपने वाहन (जिप्सी) में ले गये। अभि.सा.- 6 कुछ देर तक दौड़ने के बाद गांव छिंदर पहुंचे, जहां राम प्रताप बिश्नोई के पुत्र पृथी सिंह उसे सिविल अस्पताल ले गया और उसको भर्ती कराया और फिर डॉक्टर द्वारा भेजी गई सूचना पर पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची, अभि.सा.-6 का बयान दर्ज किया और अमी लाल की हत्या और अन्य अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन, आदमपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद ए-1, ए-2, ए-3 और ए-4 के खिलाफ चालान पेश किया। अपीलकर्ता का नाम कॉलम नंबर-2 में डाला गया था। तथापि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने-अपने आदेश दिनांक 27 अगस्त, 1993 द्वारा ए-5 को सम्मन किया और सभी पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.द.सं.) की धारा 302 के साथ धारा 149, धारा 307 के साथ

धारा 149, 148 और 201 के तहत आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों को परीक्षित किया। विचारण न्यायालय (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार) ने 20 मार्च, 1993 को अपने फैसले में आरोपी व्यक्तियों (ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 और ए-5) को भा.द.सं. की धारा 302 सपठित धारा 149, धारा 307 सपठित धारा 149, 148 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और आजीवन कारावास और अलग-अलग अवधि के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

2. ए-1 से ए-5 तक ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील की। उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर, 2008 को अपने निर्णय में अपील को खारिज कर दिया और उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

3. ए-1, ए-2 और ए-4 ने आक्षेपित फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका [एसएलपी (सीआरएल) संख्या 236/2009] दायर की, जिसे 23 जनवरी 2009 को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जहां तक ए-3 का संबंध है, उसने एक अलग विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिसमें अनुमति स्वीकार की गई। उसकी अपील पर हमने अलग से विचार किया क्योंकि वह घटना की तारीख पर किशोर था और 25 जून, 2010 को उसका निपटारा कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज कुमार जैन ने शुरुआत में अमी लाल की मृत्यु के तथ्य पर विवाद किया। उन्होंने कहा कि बेशक अमी लाल का शव बरामद नहीं किया गया और न ही कोई पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने विचारण के दौरान कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत के लिए आवेदन का हवाला दिया और कहा कि एक अमी लाल को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया और जोधपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और उस आवेदन पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पुलिस को यह सत्यापित करने के लिए समय दिया था कि अमी लाल जीवित है या मृत, लेकिन जांच एजेंसी यह सत्यापित करने में विफल रही कि क्या अमी लाल, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर के सामने पेश किया गया था, समान व्यक्ति था जिसकी हत्या करने का आरोप है या कोई और व्यक्ति था। अभियोजन पक्ष की साक्ष्यों से निपटते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अभि.सा.-6 के अभिसाक्ष्य को या तो वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए या पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि अभि.सा.-6 से अभियुक्तों द्वारा जिरह की गई थी, इसलिए अभि.सा.-6 पर उनकी जीत का कोई सवाल ही नहीं था। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अभि.सा.-6 के अभिसाक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। जहां तक अभि.सा.-9 के साक्ष्य का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज कुमार जैन ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि

वह घटना के समय और स्थान पर मौजूद नहीं थे और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा चश्मदीद गवाह के रूप में खड़ा किया गया है। उनका कहना था कि अभि.सा.-9 द्वारा घटना का वृतांत असंभव प्रतीत होता है; मृतक का भाई होने के नाते वह अत्यधिक हितबद्ध गवाह है और उसके साक्ष्य को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एक ओर भूप सिंह और मृतक और दूसरी ओर ए-4 (अपीलकर्ता के रिश्तेदार) के बीच दुश्मनी के कारण अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है। किसी भी मामले में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्ष्य से घटना स्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध बनी हुई है।

5. दूसरी ओर, हरियाणा राज्य के विद्वान वकील श्री कमल मोहन गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का दृढ़ता से बचाव किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभि.सा.-9 ने घटना का ग्राफिक विवरण दिया है; उसकी उपस्थिति अभियोजन साक्ष्य, विशेष रूप से अभि.सा.-6 के बयान से स्थापित होती है और उसके साक्ष्य की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि घटना स्थल से.12 बोर की एक बंदूक और बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद हुए थे। विद्वान वकील का कहना है कि केवल इसलिए कि अभि.सा.-9 पुलिस के आने तक घटनास्थल पर रहा और उसने मदद के लिए फोन नहीं किया, न ही ग्रामीणों को सूचित किया, इससे यह नहीं दर्शाता कि वह वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि अलग-अलग व्यक्ति

अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। विद्वान वकील ने मारवाड़ी किशोर परमानंद और अन्य बनाम गुजरात राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। जहां तक अभि.सा.-6 के साक्ष्य का सवाल है, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने अभियोजन मामले का इस हद तक समर्थन किया कि उसने एफआईआर दर्ज कराई; वह घटना में घायल हो गया था; उन्होंने घटना स्थल पर सफेद जिप्सी देखी और घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने गोलियां चला दीं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चोटें आईं और अमी लाल की मृत्यु हो गई। उन्होंने हमलावरों का नाम नहीं लिया और इस हद तक उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी साक्ष्य पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य थी। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील का जवाब देते हुए कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अमी लाल की हत्या को स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं था, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि अमी लाल का शव बरामद नहीं हुआ था, यह नहीं कहा जा सकता कि अमी लाल की हत्या नहीं की गयी है। उन्होंने अभि.सा.-9 के अभिसाक्ष्य का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अमी लाल की मृत्यु आरोपियों द्वारा चलाई गई गोलियों से लगी चोटों के कारण हुई थी और आरोपी अमी लाल के शव को अपने वाहन में ले गए थे। इस संबंध में, विद्वान वकील ने सेवका पेरुमल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य में इस

न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। । श्री कमल मोहन गुप्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने घटना के स्थान पर अन्य आरोपियों के साथ अपीलकर्ता की उपस्थिति और उसकी भागीदारी के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीय माना है। इस न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का तौलने और पुनर्मूल्यांकन करने और अभियुक्त की बेगुनाही या अपराध के बारे में एक नई राय पर पहुंचने का बिल्कुल भी औचित्य नहीं है। विद्वान वकील ने प्रीतम सिंह बनाम राज्य, नरेश मोहनलाल जायसवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, अनवारुल हक बनाम यूपी राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

6. चूंकि अमी लाल की मृत्यु के तथ्य का प्रश्न उठाया गया है, इसलिए हमें यह देखना होगा कि अमी लाल की मृत्यु का प्रमाण क्या है। दूसरे शब्दों में, प्रश्न 'कॉर्पस डेलिक्टी' के प्रमाण से संबंधित है। अभिव्यक्ति 'कॉर्पस डेलिक्टी' समय-समय पर न्यायिक टिप्पणियों का विषय रही है। 'कॉर्पस डेलिक्टी' शब्द का आम तौर पर तात्पर्य है; जब किसी विशेष अपराध पर लागू किया, आरोपित विशेष अपराध में से किसी एक द्वारा किया गया वास्तविक कार्य किया। (शब्द और वाक्यांश, खंड 9 ए, दूसरा पुनर्मुद्रण, 1976, वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी) एक हत्या के मामले में, 'कॉर्पस डेलिक्टी' में किसी व्यक्ति की मृत्यु के सबूत शामिल होते हैं जिसकी कथित तौर पर हत्या की गई और ऐसी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध

के कारण हुई है। आपराधिक न्यायशास्त्र में यह दृढ़ सिद्धांत है कि कोई यह जांच शुरू नहीं करता है कि कैदी किसी अपराध का दोषी है, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि एक अपराध किया गया है।

7. सर मैथ्यू हेल (किंग्स बेंच के न्यायालय के लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश) 'द हिस्ट्री ऑफ द प्लीज़ ऑफ द क्राउन', वॉल्यूम II में पृष्ठ 290 (1800 संस्करण) पर अपनी राय देते हुए कहा, 'मैं किसी भी व्यक्ति को हत्या या नरहत्या का दोषी नहीं ठहराऊंगा, जब तक कि तथ्य साबित न हो जाएं, या कम से कम शव मृत न पाया जाए।'

8. सर मैथ्यू हेल का उपरोक्त कथन इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड तथा अन्य सामान्य विधि वाले देशों में यथावत स्वीकार नहीं किया गया है। इंग्लैंड में कानूनी स्थिति इंग्लैंड के 9 हैल्सबरी कानून, द्वितीय संस्करण 449 में इस प्रकार बताई गई है: जहां कोई शरीर या शरीर का कोई हिस्सा नहीं पाया गया है जो यह साबित करता है कि व्यक्ति की हत्या की गई है, किसी आरोपी व्यक्ति को हत्या या नरहत्या का दोषी नहीं ठहराना चाहिए जब तक कि मारे जाने वाले कथित व्यक्ति की हत्या या मारे जाने की मृत्यु का कोई सबूत न हो।

9. रेक्स बनाम पैट्रिक मैकनिकोल के मामले में आयरिश कोर्ट ऑफ क्राउन की छह-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सर मैथ्यू हेल के बयान के संबंध में सर जेम्स कैंपबेल, सीजे के माध्यम से बोलते हुए कहा कि यह एक दृढ़

कानूनी उक्ति नहीं है, लेकिन पीठासीन न्यायाधीश द्वारा जूरी को संबोधित की जाने वाली एक बुद्धिमान और आवश्यक सावधानी है। खंडपीठ ने माना कि हत्या के आरोप में कॉर्पस डेलिक्टी के सबूत का मतलब हत्या के तथ्य का प्रमाण है, और यह कि आरोपी ने हत्या की है या उसके कृत्य में भाग लिया है। ऐसा सबूत शव मिलने के प्रमाण के बिना आरोपी के स्वीकारोउक्ति से स्थापित किया जा सकता है।

10. द किंग बनाम होरी में, न्यूजीलैंड कोर्ट ऑफ अपील ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया कि हत्या के आरोप वाले व्यक्ति के मुकदमे में, मृत्यु का तथ्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, भले ही न तो शरीर और न ही शरीर का कोई निशान मिला हो।

11. जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, सेवक पेरुमल 2 में यह निर्धारित किया गया है कि कॉर्पस डेलिक्टी स्थापित करना आवश्यक नहीं है; मृतक की मृत्यु के तथ्य को किसी भी अन्य तथ्य की तरह स्थापित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा;

> "..... हत्या के विचारण में कॉर्पस डेलिक्टी स्थापित करने की एक पूर्ण आवश्यकता या आवश्यक घटक नहीं है। मृतक की मृत्यु के तथ्य को किसी भी अन्य तथ्य की तरह स्थापित किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में कॉर्पस डेलिक्टी की पता लगाना या बरामद करना संभव नहीं हो

सकता है। उदाहरण के लिए, एक हत्या की गई और मृत शव को बहती नदी या नाले में फेंक दिया गया था या जला दिया गया था। यह संभावना नहीं है कि शव बरामद किया जा सके। यदि शव की बरामदगी जिससे किसी आरोपी को दोषी ठहराने की एक परम आवश्यकता है, कई मामलों में आरोपी यह देखने में कामयाब हो जाएगा कि मृत शव नष्ट हो गया है आदि और दोषी को दंडित होने से पूरी प्रतिरक्षा मिल जाएगी और हत्या का अपराध होने पर भी वह बच जाएगा। इसलिए, हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि का आधार के लिए जो आवश्यक है वो यह है कि इस बात के विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य हों कि हत्या का अपराध, मृत्यु के किसी भी अन्य तथ्य की तरह किया गया था और इसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, यद्यपि शव का पता नहीं चल सका हो।"

12. कभी-कभी, अपराध के तथ्य के प्रमाण और उसके कर्ता के प्रमाण के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। कॉर्पस डेलिक्टी के साक्ष्य और अपराध के आरोपी व्यक्ति का अपराध, कई बार इतने परस्पर जुड़े होते हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही साक्ष्य अक्सर अपराध के तथ्य और उसे करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व दोनों पर लागू होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन साक्ष्य यह स्थापित

करता है कि अमी लाल की हत्या की गई थी और अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का मामला बनता है।

13. मुख्य गवाह अभि.सा.-9 है। अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश किया गया है. उन्होंने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है. इस गवाह को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी विश्वसनीय माना है। बचाव पक्ष द्वारा उजागर किए गए इस गवाह की अभिसाक्ष्य की आलोचना पर विचारण न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है और इस तरह की आलोचना में कोई गुण नहीं मिलने के बाद, विचारण न्यायालय ने गहन विश्लेषण के बाद अभि.सा.-9 की साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक सूक्षमता से सारांशित किया:

> "26... जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, छोटू राम द्वारा दिया गया बयान लंबी जिरह की कसौटी पर खरा उतरा है। उस पर अविश्वास करने की कोई बात नहीं है...
>
> 27. यह तथ्य कि छोटू राम दोपहर 3.30 बजे तक घटनास्थल पर ही रहा। जब पुलिस मौके पर आई यह साबित नहीं करता कि वह मौके पर मौजूद नहीं था. इसलिए पुलिस के आने तक छोटू राम का खुद को फसल में छुपाने और जगह नहीं छोड़ने का आचरण साबित नहीं करता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसके

बयान को अविश्वसनीय नहीं बनाता। केवल यह तथ्य कि उसने मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया और आरोपियों के वहां से चले जाने के बाद अपनी ढाणी में नहीं जाना, उसके बयान को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

28. इस प्रकार ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों से यह विधिवत सिद्ध हो गया है कि छोटू राम का बयान विश्वसनीय है और उनके बयान से यह विधिवत साबित हो गया है कि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए तरीके और स्थान पर हुई थी। "

14. जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, खण्डपीठ ने निम्नलिखित तरीके से अभि.सा.-9 के बयान पर व्यापक रूप से विचार किया:

"हमने घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक, छोटू राम अभि.सा.9 के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उन्होंने घटनाओं के पूरे अनुक्रम का एक ज्वलंत विवरण दिया है और अभियोजन मामले का पूरा समर्थन किया है। जिरह के दौरान, बचाव पक्ष उनके रुख पर कोई असर नहीं डाल सका। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 3 अक्टूबर, 1990 को वह अमी लाल, संत लाल और हरि सिंह के साथ जीप नंबर

डीएनसी-9324 में सवार होकर गांव भोडिया बिश्नोईयान से गांव बड़ोपल जा रहे थे। जब वे गांव भाणा के पास श्मशान घाट को पार कर रहे थे, तो श्मशान घाट के पास एक सफेद जिप्सी खड़ी दिखाई दी। हरि सिंह ने जीप रोक दी। पांच आरोपी यानी जी राम, राम सिंह पुत्र सही राम, राम सिंह पुत्र राम करण, पिरथी और महाबीर, झाड़ियों से निकले। जी राम एक राइफल से लैस था, जबकि अन्य आरोपी बंदूकों से लैस थे। सभी आरोपियों ने जीप पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली सामने की सीट पर बैठे अमी लाल को लगी। जीप में बैठे लोग जान बचाने के लिए जीप अलग-अलग दिशा में भागने लगी। हरि सिंह और संत लाल को भी गोली लगी। हालांकि, वे मौके से भागने में सफल रहे. उसने आगे कहा कि उसने खुद को पास की फसलों में छिपा लिया और वहां से पूरी घटना देखी। यहां तक कि जब अमी लाल को छोड़कर जीप में सवार सभी लोग भाग गए, तो आरोपी जीप के पास आए और अमी लाल पर करीब से गोली चला दी। इसके बाद, उन्होंने अमी लाल के शव को उठाया, जिप्सी में डाला और घटनास्थल से भाग गए। दोपहर करीब तीन बजे पुलिस मौके पर आई। उनकी सूचना के आधार पर, बरामदगी के स्थान का एक साइट-प्लान तैयार किया गया

और 47 खाली कारतूस बरामद किए गए, जिनमें से 45.12 बोर के खाली कारतूस.12 बोर का एक छूटा हुआ कारतूस और.315 बोर का एक खाली कारतूस था। अनुसंधान अधिकारी ने छर्रों और जीप आदि को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस गवाह ने आगे कहा कि अमी लाल और आरोपियों के बीच दुश्मनी थी क्योंकि अमी लाल ने भागी राम की हत्या कर दी थी, जो आरोपी जी राम का भाई था। इसलिए आरोपी भागी राम की हत्या का बदला लेना चाहता था।

बचाव पक्ष द्वारा छोटू राम से प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन वह इसका सामना कर गया और प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष उससे कुछ भी ठोस निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं हो सका। छोटू राम का बयान एफआईआर में दिए गए शुरुआती बयान से मेल खाता है और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। घटनास्थल से इतने सारे खाली कारतूसों की बरामदगी, हरि सिंह और संत लाल को लगी चोटें इस गवाह की गवाही को पर्याप्त विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। उनका यह कथन कि कई लोगों द्वारा गोलीबारी की स्थिति में वह खेतों में छिपा हुआ था, काफी

विश्वसनीय है, उनके पास अपनी जान के डर से खुद को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"

15. इस प्रकार, यह देखा गया है कि अभि.सा.-9 को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी एक विश्वसनीय गवाह के रूप में स्वीकार किया है। एक बार जब अभि.सा.-9 स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसका साक्ष्य अमी लाल की मृत्यु के तथ्य को साबित करता है और आरोपी (अपीलकर्ता सहित) द्वारा अपराध के कृत्य को भी निश्चित करता है। यह सच है कि वह रिश्तेदार गवाह है क्योंकि वह मृतक का भाई है, लेकिन हमारे विचार से, यह उसकी गवाही को विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं बना देगा। स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंभव सामने नहीं लाया गया है जो अभि.सा.-9 की गवाही को अस्वीकार करने को उचित ठहरा सके। लगभग 4/5 घंटे तक झाड़ियों के पीछे रहने का उसका आचरण और पुलिस या ग्रामीणों को घटना की सूचना तब तक नहीं देने जब तक कि पुलिस घटनास्थल पर लगभग 3.00 पी.एम. बजे नहीं पहुंच गई पहली नजर में सामान्य से थोड़ा हटकर लग सकता है लेकिन गहराई से जांच करने पर यह असामान्य या असाधारण नहीं लगता है। वह डर गया क्योंकि उसने बंदूकों और राइफलों से लैस आरोपियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी देखी; उसके भाई की मौत हो गई थी और हमलावरों ने उसे हटा दिया था और उसके साथ मौजूद अन्य दो लोगों को आग्नेयास्त्रों से चोटें आई थीं। हो सकता है कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने अलग

तरह से प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन किसी भी मामले में अभि.सा.-9 का आचरण असंभव नहीं लगता है। इसके अलावा घटना के समय और स्थान पर उसकी उपस्थिति भी अभि.सा.-6 के साक्ष्य से स्थापित होती है। एफआईआर में दर्ज है कि जीप में अभि.सा.-9, अभि.सा.-6 के साथ था. अभि.सा.-9 के साक्ष्य को घटनास्थल से एक बंदूक और खाली तथा अप्रयुक्त कारतूसों की बरामदगी से भी पुष्टि मिलती है।

16. जहां तक अभि.सा.-6 के साक्ष्य का संबंध है, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया कि उसके साक्ष्य को या तो वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए या पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। अभि.सा.-6 ने गवाही दी है कि उसने एफआईआर दर्ज कराई थी; वह घटना में घायल हो गया था; उन्होंने घटना स्थल पर सफेद जिप्सी देखी और कुछ लोग घात लगाकर आए और गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं और अमी लाल की मृत्यु हो गई। यह सच है कि उसने हमलावरों का नाम नहीं बताया। तथ्य यह है कि एक घटना घटी जिसमें उसे चोटें लगीं और अमी लाल की मृत्यु हो गई, यह उसकी साक्ष्य से भी काफी हद तक स्थापित होता है। अभि.सा.-6 को लगी चोटें डॉ. अजय कुमार (अभि.सा.-1) के साक्ष्य से भी स्थापित होती हैं, जिन्होंने घटना के तुरंत बाद उसकी चिकित्सकीय जांच की थी। केवल इसलिए कि उसने हमलावरों का नाम नहीं लिया, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

17. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154 न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा देने में सक्षम बनाती है, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने पहले यह विचार किया था कि जब किसी गवाह से उसे बुलाने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाती है, तो उसके साक्ष्य पर आंशिक रूप से विश्वास और आंशिक रूप से अविश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए। तथापि बाद के निर्णयों में इस दृष्टिकोण को स्वीकृति नहीं मिली। तथ्य के रूप में, इस न्यायालय के निर्णय इसके विपरीत हैं। खुज्जी @सुरेंद्र तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य, श्री रवीन्द्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य के पहले के फैसलों पर भरोसा किया और सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति दोहराई कि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन ने उसके साथ पक्षद्रोही के रूप में बर्ताव करने का चयन किया और उससे प्रतिपरीक्षा की। ऐसे गवाहों के साक्ष्य को पूरी तरह से मिटाया हुआ या रिकॉर्ड से मिटाया हुआ नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे उस हद तक स्वीकार किया जा सकता है, जहां तक सावधानीपूर्वक जांच करने पर उनका बयान भरोसेमंद पाया जाता है।

18. कोली लखमनभाई चनाभाई बनाम गुजरात राज्य में, इस न्यायालय ने फिर दोहराया कि एक पक्षद्रोही गवाह की गवाही उस हद तक उपयोगी है जिस हद तक वह अभियोजन मामले का समर्थन करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान सिंह9 मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब एक गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और न्यायालय की अनुमति से उससे प्रतिपरीक्षा की गई, तो उसका साक्ष्य स्वीकार्य रहता है और यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है, तो उसकी गवाही से दोषसिद्धि पर कोई कानूनी बाधा नहीं है।

19. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह कहना कि अभि.सा.-6 की गवाही को या तो वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा वह है या पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए, इस प्रकार, जैसा कि ऊपर देखा गया है, तय कानूनी स्थिति को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

20. हम पहले ही अभि.सा.-9 के साक्ष्य देख चुके हैं। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उसे भरोसेमंद अभिनिर्धारित किया है। हमारे लिए भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का बहुत कम न्यायसंगत कोई कारण नहीं है। वह अमी लाल का सगा भाई है। अभि.सा.-9 के प्रत्यक्ष साक्ष्य में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अमी लाल मर चुका है और घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी सभा के सदस्य (अपीलकर्ता

सहित) उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील है कि एक अमी लाल राजस्थान में गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद, पुलिस यह सत्यापन करने में विफल रही कि क्या अमी लाल समान व्यक्ति था जिसकी कथित तौर पर हत्या की गई है या कोई अन्य व्यक्ति और इसलिए, अमी लाल की मृत्यु का तथ्य स्थापित नहीं किया गया है, में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

21. अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में, एम. हिदायतुल्ला, जे. (उस समय उनके स्वामी के रूप में) ने कहा:

> "आमतौर पर, इस न्यायालय की यह परम्परा नहीं है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों की दोबारा जांच करे, खासकर ऐसे मामले में जहां नीचे के दो न्यायालयों के बीच राय की सहमति हो..."

22. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में, यह न्यायालय साक्ष्य की विस्तृत परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन में प्रविष्ट नहीं करता है, खासकर जब नीचे की दो अदालतों के बीच राय की सहमति हो। तथापि, हमने अभि.सा.-9 के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की और हम संतुष्ट हैं कि धारा 302

सपठित धारा 149, धारा 307 सपठित धारा 149, 148 और 201 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

23. अपील में कोई गुण नहीं है और तदनुसार खारिज की जाती है।

के.के.टी.

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अशोक चौधरी (जिला न्याय. संवर्ग) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।